संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359,14-10-1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ - 226005

email : lekhpal.up@gmail.com website : lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो0 : 9456225600
पत्राचार : मो शिवदयाल कम्पाउन्ड,
निकट आई. टी. सी., सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास,
निकट गीता भवन, हनुमान मन्दिर, देवरिया (उ0प्र0)

उपाध्यक्षगण
दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
मो0 : 9536500281

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो0 : 9198895639

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
मो0 : 9451510484

कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप
मो0 : 9760398504

संगठन मंत्रीगण
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो0 : 9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
मो0 : 9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
मो0 : 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल
मो0 : 9695863623

पत्रांक...71/महामंत्री/18 दिनांक..10/6/18......

सेवा में,

मा0 मुख्यसचिव महोदय,

उ0प्र0 शासन।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद लेखपाल संवर्ग की मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण दिनांक 19 जून 2018 से आन्दोलन करने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.06.2018 को उ0प्र0 लेखपाल संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी सर्वोच्च समिति की बैठक में प्रदेश के समस्त मण्डलों से आये पदाधिकारियों के द्वारा इस बात पर काफी रोष व्यक्त किया गया कि उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा वर्ष 2016 में किए गये आन्दोलन के परिणामस्वरूप मा0 मुख्यमंत्री महोदय एवं शासन के शीर्ष पदाधिकारियों के मध्य हुई समझौता वार्ता में बनी सहमति के आधार पर आन्दोलन स्थगित किया गया था जिसमें संघ की लम्बित मांगे वेतन उच्चीकरण, वेतन व पेंशन विसंगति दूर करने, पदनाम व शैक्षिक अर्हता परिवर्तन, लैपटाप एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराने सम्बन्धी मांगों पर लेखपाल संघ एवं शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिनांक 21 सितम्बर 2016 को दिया गया था और 11 अप्रैल 2017 को वर्तमान मुख्यमंत्री मा0 योगी जी ने भी लेखपाल संघ प्रतिनिधिमण्डल को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। परन्तु अभी तक मांगों पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। जिस कारण दिनांक 06 मई 2018 को प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा लिए गये निर्णय के कम में शासन/सरकार को 05 जून 2018 तक मांगे पूरी न होने की स्थिति में आन्दोलन का नोटिस 06 मई 2018 को दिया जा चुका है। 01 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद शासन/सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण आज दिनांक 10.06.18 को सम्पन्न सर्वोच्च समिति की बैठक में आन्दोलन का निर्णय लिया गया जिसका कार्यकम निम्नवत है:–

दिनांक	कार्यकम
19.06.18	10 बजे से 2 बजे तक प्रदेश की सभी तहसीलों में काली पट्टी बॉधकर विरोध प्रदर्शन, धरना एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित ज्ञापन प्रेषित करना।
19.06.18 से 25.06.18 तक	विरोध स्वरूप काली पट्टी बॉधकर कार्य करना।
26.06.18 से 02.07.18 तक	संसाधनों के अभाव में ई–डिस्ट्रिक के अन्तर्गत निर्गत किए जाने वाले आय, जाति, निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य का पूर्ण बहिष्कार करते हुए काली पट्टी बॉधकर अन्य शासकीय कार्य करना।
03.07.18 से 07.07.18 तक	सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील मुख्यालयों पर 10–4 बजे तक धरना प्रदर्शन।
09.07.18 से अनिश्चित कालीन समय तक	सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए जनपद मुख्यालयों पर 10–4 बजे तक धरना प्रदर्शन।

संलग्नक– मांगपत्र।

भवदीय

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 मुख्यमंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार।
2. मा0 अपर मुख्य सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0शासन।
3. मा0 अपर मुख्य सचिव वित्त महोदय, उ0प्र0 शासन।
4. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मा0 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ
6. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया, राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. मा0 प्रभारी अधिकारी, एल0आई0यू0, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
9. समस्त जिला एवं तहसील अध्यक्ष/ मंत्री उ0प्र0 लेखपाल संघ।

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner

मॉगपत्र

1. **वेतन उच्चीकरणः**—राजस्व विभाग में लेखपाल एक महत्वपूर्ण पद है, जिसके अपने पदीय दायित्व बहुत अधिक है तथा अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, विकास, शिक्षा, सांख्यिकी आदि लगभग 50 विभागों के कार्य संचालन में लेखपाल का महत्वपूर्ण सहयोग लिया जाता है। कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे एवं अन्य विभागों के कार्य सम्पादन के कारण ही लेखपाल पद विशिष्ट श्रेणी का माना गया है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के समान लेखपाल पद का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक, शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा प्रारम्भिक ग्रेड पे 2800 किया जाना आवश्यक है। मा0 राजस्व परिषद व शासन द्वारा उक्त के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रबल संस्तुति वेतन आयोग को प्रेषित की गयी थी। अतः मा0 महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग का वेतन उच्चीकरण का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

2. **वेतन विसंगतिः**— वर्ष 2006 में छठे वेतन आयोग के लागू होने से लेखपाल संवर्ग में गम्भीर वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है। जिससे एक ही संवर्ग में सेवा करने वाले कुछ लोगों को 16 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में 4200 रूपये ग्रेड पे जबकि 1994 के बाद नियुक्त लगभग 2500 लोगों को 16 वर्ष की ही समान सेवा पर 2800 रूपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। एक ही संवर्ग में समान कार्य व समान सेवा अवधि पर असमान वेतन दिया जाना गम्भीर वेतन विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए मा0 परिषद द्वारा दी गयी संस्तुति शासन में लम्बित हैं। अतः मा0 महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर करने की कृपा करें।

3. **पेंशन विसंगतिः**— महोदय, लेखपाल संवर्ग में वर्ष 2001 व 2003 में चयनित व 2003—04 में प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति विभिन्न प्रशासनिक कारणों से हुए विलम्ब के कारण 01 अप्रैल 2005 के बाद हुई है जबकि इनका प्रशिक्षण भी 01 अप्रैल 2005 से पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। इस सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद द्वारा 24.08.16 व 13.11.17 को इन लेखपालों की पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में संस्तुति सहित पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। जिस पर मा0 महोदय से निवेदन है कि वर्ष 2001 व 2003 में चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

4. **भत्तों में वृद्धिः**— मा0 राजस्व परिषद, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ—साथ अपने स्तर से भी जनहित/किसान हित में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कियान्वयन जिलाधिकारियों के माध्यम से लेखपालों द्वारा कराया जाता है। मा0 राजस्व परिषद को लेखपाल के दायित्वों एवं कार्यभार में हुई वृद्धि के कारण व्यय में हुई वृद्धि का भली—भॉति ज्ञान है, जिसके दृष्टिगत मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को बोर्ड की बैठक में लेखपाल संवर्ग के विशेष वेतन भत्ता, पेट्रोल भत्ता व स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि किए जाने का औचित्य पाते हुए एक प्रस्ताव अपने पत्र संख्या 6236/4—39ए—85टीसी दिनांक 06 दिसम्बर 2017 शासन में अनुभाग—9 को भेजा गया है। मा0 परिषद द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार विशेष वेतन भत्ता 1500 रूपये, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर पेट्रोल/ मोटरसाइकिल भत्ता 2000 रूपये तथा स्टेशनरी भत्ता 750 रूपये प्रतिमाह किए जाने का शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें।

5. **राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित "राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017" को कैबिनेट से पारित कराना :—** राजस्व लेखपाल के बहुआयामी कर्तव्य, महत्व, उपयोगिता एवं शासन के अद्यतन निर्णयों के दृष्टिगत मा0 राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में पदनाम, शैक्षिक योग्यता, भर्ती के श्रोत, भर्ती की प्रकिया, स्थानान्तरण आदि संशोधनों को समाहित करते हुए "राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017" प्रस्तावित की गयी है। अतः महोदय से निवेदन है कि नियमावली संशोधन की समस्त औपचारिकताएं पूरी कराते हुए कैबिनेट से पारित कराने की कृपा करें।

6. **लैपटाप व स्मार्टफोनः**— ई0 डिस्ट्रिक, ई गवर्नेन्स एवं डिजिटल इण्डिया को कियान्वित कराने के लिए खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नक्शा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि

Scanned by CamScanner

समस्त कार्य कम्प्यूटरीकृत एवं आनलाईन कर दिए गये हैं। जिसके लिए उ0प्र0 शासन द्वारा लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध कराने एवं भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा चुका है। जिसके लिए बजट 2 वर्ष से पड़ा है किन्तु खरीदारी न होने के कारण आज तक लेखपालों को लैपटाप व स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराए गये हैं। लेखपाल 4–5 वर्षों से अपने निजी व्यय से उक्त कार्यों का सम्पादन कर रहे है, जो कि अब अधिक दिनों तक किया जाना सम्भव नहीं है। अतः महोदय से निवेदन है कि लैपटाप व स्मार्टफोन तत्काल उपलब्ध कराने की कृपा करें।

7. प्रोन्नति–(1)–राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन का कोटा समाप्त किया जाए और 25 प्रतिशत पद लेखपालों की विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएं। संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन की पदोन्नति हेतु उनके विभाग में ही पर्यवेक्षक पद सृजित किए जाएं।

(2) जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण एवं सुदृढ़ व सक्षम क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के दृष्टिगत 1:5 के अनुपात में राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करने सम्बन्धी मा0 परिषद के प्रस्ताव पर मा0 प्रमुख सचिव राजस्व एवं मा0 राजस्वमंत्री की सैद्धान्तिक सहमति के अनुरूप राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं।

(3) शासन द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णय के कम में मा0 राजस्व परिषद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार राजस्व निरीक्षक कार्यालय के 626 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए और अधिष्ठान कार्य हेतु राजस्व निरीक्षक कार्यालय का एक पद प्रति तहसील के अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित कराया जाए।

(4)राजस्व अभिलेखागार में राजस्व अभिलेखों (खतौनी, बन्दोबस्ती अभिलेख, शजरा, राजस्व पत्रावलियां आदि) के रखरखाव एवं पर्यवेक्षण हेतु सृजित पद आर0आर0के0 को लिपिक/मिनिस्ट्रियल संवर्ग के स्थान पर भूलेख संवर्ग से राजस्व निरीक्षकों द्वारा भरा जाए।

(5)नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाए और राजस्व वादों के समय बद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी की भॉति नायब तहसीलदार न्यायिक के पदों का भी सृजन किया जाए।

8. **आधारभूत सुविधांए एवं संसाधनः–** महोदय, लेखपालों को अपने साथ अपने हल्के से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अभिलेख यथा खसरा, खतौनी, शजरा, सी0एच0 41 व 45, शिकायती प्रार्थना पत्रों के साथ–साथ राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अनेक प्रकार के रजिस्टर, आम आदमी बीमा योजना से सम्बन्धित प्रपत्र, इत्यादि रखने पड़ते हैं जिनका वजन लगभग 15–20 किलो तक होता है इसके साथ ही अनेक लेखपालों को एक हल्के के साथ साथ अतिरिक्त हल्के का कार्य भी करना पड़ता है जिससे वजन और भी अधिक हो जाता है। चूँकि लेखपाल आम जन से सीधे जुड़ा होता है तथा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते है ऐसे में अभिलेखों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि लेखपाल के पास उसके कार्य स्थल पर कार्य करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यथा भवन, फर्नीचर, शौचालय, कार्यालय, आवास इत्यादि उपलब्ध नहीं होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए ट्रैक्टर, जे0सी0बी0, मजदूर, पुलिस/टास्क फोर्स की भी आवश्यकता होती है। जो कि लेखपाल अपने निज वेतन से व्यय करता है। अतः महोदय से निवेदन है कि लेखपालों को उपरोक्त आवश्यक आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner